कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

UTTARAKHAND

Phone/Fax- 01363-244204 Email- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 1497/10 एल.ए. दिनांक 10/10/2022

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
वद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर।

विषय– जनपद चमोली कोटी बैंण्ड से घतोड़ा मोटर निर्माण हेतु 1.099 है. वनभूमि का लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ आपका पत्रांक 3022/12–1 10 एल.ए. दिनांक दिनांक 04.02.2022,

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा चाही गई पांच बिन्दुओं की आख्या बिन्दुवार निम्न प्रकार से संलग्न कर पुनः विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	राज्य सरकार के पत्र दिनांक 28.09.2018 में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 2.198 है. ग्राम–घतोड़ा सिविल सोयम भूमि को वनविभाग के पक्ष में म्यूटेशन कराया गया है। अतः राज्य सरकार म्यूटेशन सम्बन्धी खसरा खतौनी जिसमें यह लिखा हो कि "उक्त भूमि वनविभाग के पक्ष में अमलदरामद (हस्तान्तरण/नमान्तरण) कर ली गयी है". लिखा हो, की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम–घतोड़ा की सिविल भूमि का वन विभाग के नाम अमलदरामद (हस्तान्तरण/नमान्तरण) राजस्व अभिलेखों में किया जा चुका है । **संलग्नः–मूलप्रति।**
2	राज्य सरकार सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 एवं 5 की वचनबद्वता की मूल प्रति प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	**संलग्नः–सत्यापित छायाप्रति।**
3	राज्य सरकार द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति दिनांक 06.09.2017 की शर्त संख्या 6, 7 एवं 8 की अनुपालन आख्या की मूल प्रति अभी तक इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गई है। अतः राज्य सरकार शर्त संख्या–06, 07 एवं 8 की अनुपालन की मूल प्रति इस कार्यालय को यथाशीध्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	**संलग्नः–सत्यापित छायाप्रति।**
4	इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु कैम्पा कोष में 10 वर्षो के लिए 5,57,330.00/–रू. की धनराशि जमा की गई है। परन्तु ऑनलाईन वैब पोर्टल पर CA scheme रू. 3,18,365.00/– की अपलोड़ की गई है। अतः राज्य सरकार उपरोक्त विसंगति पर अपना स्पष्टीकरण प्रेषित करें। यदि आवश्यक हो तो CA scheme रूपये 5,37,330.00 /– रूपये के लिए प्रस्तुत करें।	विभाग द्वारा एन.पी.वी. एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ऑन–लाइन पोर्टल के माध्यम से CAMPA कोष में जमा कर दी गई है। आपके द्वारा प्रयुक्त CA scheme रू. 5,37,330.00 के अनुसार ही धनराशि जमा की गयी है। **संलग्नः सत्यापित छायाप्रति।**
5	DSS के उपरान्त प्रस्तावित CA area में यह पाया गया है, कि यही area अन्य प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROADS /10119/2015 में भी CA हेतु प्रस्तावित किया गया है। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।	प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROADS /10119/2015 हेतु CA area ग्राम नौली में दिया गया है। जबकि इस प्रस्ताव हेतु ग्राम घतोड़ा में दिया गया है। **संलग्नः सत्यापित छायाप्रति।**

क्रमशः–2

चूंकि अनुपालन आख्या पूर्व में भी प्रेषित की गई थी, जिसमे कि मूल प्रतियां संलग्न कर दी गई थी, वर्तमान में खण्ड स्तर पर उपलब्ध रंगीन छायाप्रति सत्यापित कर उक्तानुसार भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण शर्तों की अनुपालन आख्या तैयार कर वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति हेतु पुनः प्रेषित किया जा रहा है।

10/10/22

(सुदर्शन सिंह रावत)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।

10/10/2022

पत्रांक 1497/10 एल॰ए॰ दिनांक / /2022

प्रतिलिपिः–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दरानगर फारेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष ''नियोजन–।।।' लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियन्ता स्तर –। लो0नि0वि0 पौड़ी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियन्ता 7वॉं वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।

321/11LA
9-3-2018

– आदेश –

जनपद चमोली में कोटी बैण्ड से घतोड़ा देवीधार मोटर मार्ग किमी0 2 से 6 तक के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.099 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 2.198 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्र सं0–08वीं/यू0सी0पी0/06/119/2016/एफ0सी0/940 दिनांक 06.9.2017 की शर्त सं0–1 के अनुसार उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में कोटी बैण्ड से घतोड़ा देवीधार मोटर मार्ग किमी0 2 से 6 तक के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.099 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में **ग्राम घतोड़ा,** प0वृ0 कोटी, तहसील कर्णप्रयाग की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0–11 के खसरा सं0–460 रकवा 1.650 है0 मध्ये 1.100 है0 भूमि, एवं खसरा 461 रकवा 1.911 है0 मध्ये 1.098 है0 भूमि अर्थात कुल 2.198 है0 भूमि, जो कि उत्तराखण्ड सरकार की नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज हैं, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII(II) /2012–18 (120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(आशीष जोशी),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः 3183/छब्बीस–13 (2017–2018) गोपेश्वरः दिनांकः 8 मार्च ~~फरवरी~~, 2018

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, कर्णप्रयाग।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

पत्रांक 617 /10 प्र.ख.–प. दिनांक 12/03/2018
प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता मुख्यालय लो. नि. वि. कर्णप्रयाग/खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
चमोली।

नकल खतौनी

N.Z.A ग्राम घतोडा रा० नि० कोटी

तहसील कर्णप्रयाग (चमोली)

1	2	3	4	
	श्रेणी 9(3) ङ :- अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि			
11	बंजर	12 16 21 105 107 ××× 460 461 ××× 1771	0.008 0.003 0.025 0.020 0.015 ××× 1.650 1.911 ××× 0.483	सु० आ० श्रीमान जिलाधिकारी महोदय चमोली संख्या: 3183/छब्बीस-13(2017-18) गोपेश्वर दिनांक 3 मार्च 2018 के क्रम में ग्राम घतोडा प० कु० कोटी तह० कर्णप्रयाग के खाता सं० 11 के खसरा सं० 460 मध्ये 1.100 हे० व खसरा सं० 461 मध्ये 1.098 हे० कुल 2.198 हे० भूमि वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ह० अ० जिलाधिकारी चमोली
		220	33.329	

नकल खतौनी असल से तैयार की गयी।

THR (K)

छायाप्रति सत्यापित

(मुहर) राजस्व उपनिरीक्षक कोटी तहसील कर्णप्रयाग (चमोली)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

10/04/18

उप ज़िलाधिकारी

सहायक अभियन्ता
प्रा. खण्ड लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

परियोजना का नामः– जनपद चमोली में कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.099 है॰ वनभूमि का हस्तान्तरण।

एन॰पी॰वी॰ जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त प्रकरण मे एन॰पी॰वी॰ की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा॰ उच्चतम न्यायालय द्वारा एन॰पी॰वी॰ की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है, तो एन॰पी॰वी॰ की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।

द्वारा प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

परियोजना का नामः— जनपद चमोली में कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.099 है० वनभूमि का हस्तान्तरण।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावति मार्ग के निर्माण के पश्चात सड़क के दोनों तरफ आस–पास के रिक्त स्थानों पर यथा सम्भव विभाग अपने व्यय पर वृक्षारोपण करेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम:– जनपद चमोली के अन्तर्गत मोख–बांसवाड़ा–बारों मोटर मार्ग क
निर्माण हेतु 1.295 हैक्टेयर वनभूमि का हस्तान्तरण ।

एन॰पी॰वी॰ जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त प्रकरण मे एन॰पी॰वी॰ की देय धनराशि लोक निम विभाग वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा॰ उच्चतम न्याया द्वारा एन॰पी॰वी॰ की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है, तो एन॰पी॰वी॰ की अतिरिक्त धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

अमीन
लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

EE PWD Karanprayag <eepdpwdkpg@gmail.com>

Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

monitoring-fc@nic.in <monitoring-fc@nic.in> Thu, Nov 9, 2017 at 6:50 PM
To: eepdpwdkpg@gmail.com
Cc: monitoring-fc@nic.in

This is to acknowledge that demand details submitted by User Agency have been verified by Nodal Officer and found to be correct. Detail of Proposal are given below.

Propsal Detail

1. Proposal No.	: FP/UK/ROAD/9783/2015
2. Proposal Name	: Construction of Koti Band to Ghathora Motor Road and 2 R.C.C. Bridge in district Chamoli
3. Category of the Proposal	: Road
4. Date of In-principle	: 31/01/2015
5. Name of the Applicant with Contact Details	
Name	: PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Mobile No.	: 9997732566
Email ID	: eepdpwdkpg@gmail.com
State	: Uttarakhand
District	: Chamoli
Pincode	: 246444

Funds Demand Details

1. Compensatory Afforestation	: Rs. 557330/-
2. Additional Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
3. Penal Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
4. Catchment Area Treatment	: Rs. 0/-
5. Safety Zone	: Rs. 0/-
6. Additional Charges for protected area	: Rs. 0/-
7. Net Present Value (NPV)	: Rs. 928655/-
8. Other Charges	: Rs.0/-
9. Other Charges1	: Rs 0/-
10. Other Charges2	: Rs 0/-
11. Other Charges3	: Rs 0/-
Total Amount	Rs 1485985/-

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

(iv). No. of patches: One

District : Chamoli

(a). Village: Ghatora

(b). Area(in ha.): 2.2

(c). Copy of KML file of the patch: View File

(d). Khasra details: 461, 460

(e). Present owner: User Agency

(f). Copy of Ownership proof:

(v). Scanned copy of the map of the land identified for creation of Compensatory Afforestation prepared by using GPS ot Total Station:

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

प्रतिपर्ण / Counterfoil

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी.द्वारा धन प्रेषण के लिए आवेदन

Application for RTGS/NEFT Remittance

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

शाखा/Branch:..KARANPRAYAG - 2385

दिनाँक/Date 19.12.2017

Received From Ex. Engineer Prov. Division P.W.D. Karan Prayag

चैकों द्वारा अंतरण आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए
By Cheques/Transfer for RTGS/NEFT

पर/on: 631488 dt. 19/12/17 ....से प्राप्त किया

बैंक/Bank: Corporation Bank

शाखा/Branch: FCS Bangalore

के पक्ष में/Favouring Uttranchal Campa

आईएफएससी कोड/ IFSCCode: CORP0000633

खाता संख्या/Account No: 150896197830080

राशि (रुपये)/Amount Rs.	1485985--
बैंक प्रभार/Bank's charges Rs.	
योग /Total Rs.	1485985--

राशि/Rupees(in words): Fourteen Lac Eighty Five thousand Nine hundred Eighty five only)

20 DEC 2017
Sandeep Singh

SBINR52017122200002803

P.C. attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

1.6(a)

Annexure-I

FORM-I
(for Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. /

Dated : 14 / 01 /2015

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that **1.099 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand** for **Construction of Koti Band to Ghathora Motor Road & 2 R.C.C. Bridge in district Chamoli** falls within jurisdiction of Ghathora Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

(d) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.099 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23.(A).

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it.

(f) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

छायाप्रति सत्यापित

Sanjay Kumar
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

1.6(b)

Office of the District Collector, District-Chamoli (Uttarakhand)

<u>Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA). 2006</u>

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhnad). constiruted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Sanjay Kumar. District Magistrate. Chamoli (Uttarakhand) on ..14-01-2015... At .14.00 hrs at Chamoli in which the application claiming rights in village Ghathora of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 1.099 Hectares for the **<u>Construction of Koti Band to Ghathora Motor Road & 2 R.C.C. Bridge in district Chamoli</u>** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

Sanjay Kumar
District Magistrate –cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

1.6(c)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम:– जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घलोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड ......चमोली.......परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घलोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु (.0.105 .है. आरक्षित वन भूमि 0.378 .है. सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.616 है. वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.099 है. वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति, (तहसील– कर्णप्रयाग) की दिनांक 13/01/015....को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक 13/01/015...उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री ...किशन सिंह नेगी.. उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग ( ) अध्यक्ष

2– श्री शिवानन्द सुमन........ उप प्रभागीय वनाधिकारी .... सदस्य,

3– श्री मोहन सिंह भण्डारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी कर्णप्रयाग सदस्य/सचिव

4– श्री सौराम सिंह बिष्टवाल बी.डी.सी. क्षेत्र पंचायत ...कोटी... सदस्य,

5– श्री [illegible] वन अधिकार समिति सदस्य

6 श्रीमती सुशीला रावत वन अधिकार समिति सदस्य

7 श्री सरोपाल सिंह नेगी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी [illegible] बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि [illegible] 1.099 [illegible]

उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग (चमोली)

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

कर्णप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/ आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मिति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत कोटी बैण्ड से घतांला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु परियोजना के निर्माण हेतु 1.099 है. वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

उप जिलाधिकारी/ अध्यक्ष
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद – चमोली

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

1.6(d)

प्रपत्र--23.1

परियोजना का नामः- जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य।

वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नामः– घतोडा,

तहसील – कर्णप्रयाग, जिला.– चमोली,

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अर्न्तगत विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एव 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु (0.105 हे. आरक्षित वन भूमि 0.378 हे. सिविल सोयम भूमि 0.616 हे. वन पंचायत भूमि X हे.) अर्थात कुल 1.099 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....घतोडा.... द्वारा दिनांक ....06/01/2015.... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घतोडा एवं कोटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रधान ग्राम पंचायत घतोडा वि० ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

(signature) 9/1/15

[कर्णप्रयाग (चमोली)]

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह/–

ग्राम सचिव. ग्राम प्रधान— घतोडा,

नोटः— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र– 23.1

दिनाक 06/01/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत – घतोडा,

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सर्व श्री रघुवीर सिंह कोटियाल	रघुवीर सिंह
2	” प्रताप सिंह नेगी	P.S. negi
3	” नन्दन सिंह कोटियाल	नन्दन सिंह
4	” अवतार सिंह नेगी	अवतार सिंह
5	” प्रेम सिंह पंवार	प्रेम सिंह पं.
6	महिपाल सिंह पंवार	[illegible]
7	दिगम्बर सिंह नेगी	[illegible]
8	पुष्कर सिंह पंवार	[illegible]
9	वीरेन्द्र सिंह पंवार	वीरेन्द्र सिंह
10	कुलदीप सिंह नेगी	Kuldeep Singh
11	सरिता देवी	सरिता देवी
12	सुनीता देवी	सुनीता देवी

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

प्रपत्र– 23.1

परियोजना का नाम

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम [illegible]
तहसील नारायणबगड़ जिला चमोली
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कोटी बगड़ से [illegible] मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.105 हे0 आरक्षितवनभूमि X हे0 सिविल सोयमभूमि X हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात कुल 0.105 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत [illegible] द्वारा दिनांक 13/06/2016 को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्यनहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकार भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम [illegible] के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.105 आरक्षित वन प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/ [signature] 13/06/2016
ग्रामसचिव/ग्राम प्रधान

ह0/ [signature] 13/06/16
ग्रामसचिव/ग्राम प्रधान

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

[signature]

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

प्रपत्र– 23.1

दिनांक 13/08/2016 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत [illegible]

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मानसिंह	मानसिंह
2	जगत सिंह	जगतसिंह
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible] सिंह	[illegible]
5	प्रेम सिंह	[illegible]
6	गुमान सिंह	[illegible]
7	जिते सिंह	[illegible]
8	उदय सिंह	[illegible] सिंह
9	मोहन सिंह	मोहन सिंह
10	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
11	[illegible] सिंह	[illegible]
12	लाल सिंह	लाल सिंह
13	कृपाल सिंह	कृपाल सिंह
14	महिपाल	महिपाल सिंह
15	केसर सिंह	[illegible]

ह0
उप प्रधान/सरपंच
जिते सिंह

ह0/
ग्रामप्रधान
12/09/2016

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

कोटी रेंज के कि0मी0 2 से घतौड़ा, तिलकोट मोटर मार्ग से प्रभावित होने वाले वृक्षों की पुनः गणना सूची जनवरी 2016

क्र. सं.	भूमि का प्रकार	प्रजाति	व्यासवार संख्या									यो
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	
01	वन पंचायत कोटी	फनियार	04	03	02	–	–	–	–	–	–	[illegible]
		बांज	84	79	24	03	–	–	–	–	–	19[illegible]
		कुकाट	11	04	–	–	–	–	–	–	–	1[illegible]
		काफल	15	07	03	01	–	–	–	–	–	26
		कुराँस	20	14	05	–	–	–	–	–	–	39
		अंग्यार	22	23	09	01	–	–	–	–	–	55
		भीड़	01	02	01	–	–	–	–	–	–	04
		अखरोट	–	–	01	01	–	–	–	–	–	02
		पाँगर	–	–	–	01	–	–	–	–	–	01
		पदम	–	03	01	03	01	–	–	–	–	08
		उतीस	–	–	01	–	–	–	–	–	–	01
		मेहल	05	01	01	–	–	–	–	–	–	07
			162	136	40	10	01	–	–	–	–	357
			नापखेत कोटी									
02	नापखेत कोटी	बांज	04	02	10	03	–	–	–	–	–	19
		कुकाट	02	03	01	01	–	–	–	–	–	07
		अखरोट	–	01	–	–	–	–	–	–	–	01
		पदम	01	01	–	–	–	–	–	–	–	02
		अंग्यार	–	01	–	–	–	–	–	–	–	01
		भीमल	–	02	01	–	–	–	–	–	–	03
		काफल	–	01	–	–	–	–	–	–	–	01
		मेहल	–	01	–	–	–	–	–	–	–	01
			07	12	12	04	–	–	–	–	–	35

धर्मपाल सिंह (signature)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

(02)

क्र.सं.	भूमि का प्रकार	प्रजाति	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 over	योग
01	छतौड़ा सिविल	मेहल	01	01	—	—	—	—	—	—	—	—	02
		अंयार	—	02	—	01	—	—	—	—	—	—	03
		बांज	05	07	02	—	—	—	—	—	—	—	14
		बुरांश	01	02	—	—	—	—	—	—	—	—	03
		काफल	01	04	—	—	—	—	—	—	—	—	05
		योग	08	16	02	01	—	—	—	—	—	—	27
		छतौड़ा / ऋषिकेश नापखेत											
01	ऋषिकेश (छतौड़ा) नापखेत	खड़िक	01	02	—	01	—	—	—	—	—	—	04
		भीमल	02	08	—	01	—	—	—	—	—	—	11
		पद्म	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—	01
		बांज	03	02	04	—	01	—	—	—	—	—	10
		तिमूला	01	01	02	01	—	—	—	—	—	—	05
		नाशपाती	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—	01
		फंयार	—	01	—	—	—	—	—	—	—	—	01
		बुरांश	01	02	01	—	—	—	—	—	—	—	04
		पैंया	—	01	—	—	—	—	—	—	—	—	01
		काफल	02	01	—	—	—	—	—	—	—	—	03
		अंयार	01	01	—	—	—	—	—	—	—	—	02
		अखरोट	—	01	—	—	—	—	—	—	—	—	01
		योग	11	20	07	04	02	—	—	—	—	—	44
		कमियाला रिजर्व											
01	कमियाला रिजर्व	काफल	—	01	03	02	—	—	—	—	—	—	06
		अंयार	06	05	03	03	—	—	—	—	—	—	17
		बुरांश	—	13	05	02	—	—	—	—	—	—	20
		बांज	03	05	—	—	—	—	—	—	—	—	08
		कुखर	—	01	02	01	—	—	—	—	—	—	04
		भ्यार	—	01	—	—	—	—	—	—	—	—	01
		योग	09	26	13	08	—	—	—	—	—	—	56

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
वनबीट अधिकारी
कमियाला बीट
दि० जन० 2016।

(राम लाल (व०क्षे०अ०))
अनुभाग अधिकारी
नारायणबगड़ अनुभाग
दि० 19 जन० 2016।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

321/11LA
9-3-2018

कोटी मोड़ के km 02 से निकोटे-घातौड़ा मोटर मार्ग से प्रभावित होने वाले वृक्षों की व्याख्या

पुनः गणना सूची - जन. 016

क्र. सं.	भूमि का प्रकार	व्यास श्रेणी										योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 ऊपर	
01	वन पंचायत कोटी	162	136	48	10	01	—	—	—	—	—	357
02	नापखेत कोटी	07	12	12	04	—	—	—	—	—	—	35
03	घातौड़ा सिविल	08	16	02	01	—	—	—	—	—	—	27
04	कृषिवाड़ी (घातौड़ा) नापखेत	11	20	07	04	02	—	—	—	—	—	44
05	बमियाला रिजर्व	09	26	13	08	—	—	—	—	—	—	56
		197	210	82	27	03	—	—	—	—	—	519

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
वनबीट अधिकारी
बमियाला बीट
दि० 19 जन. 016

(राम लाल (क.))
अनुभाग अधिकारी
नागनाथपुर अनुभाग
दि० 19 जन 016

घापाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

D.F.O

321/11A
9-3-2018

डिजिटल मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत कोटी बैण्ड – घतोड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई–5.000 कि0मी0)

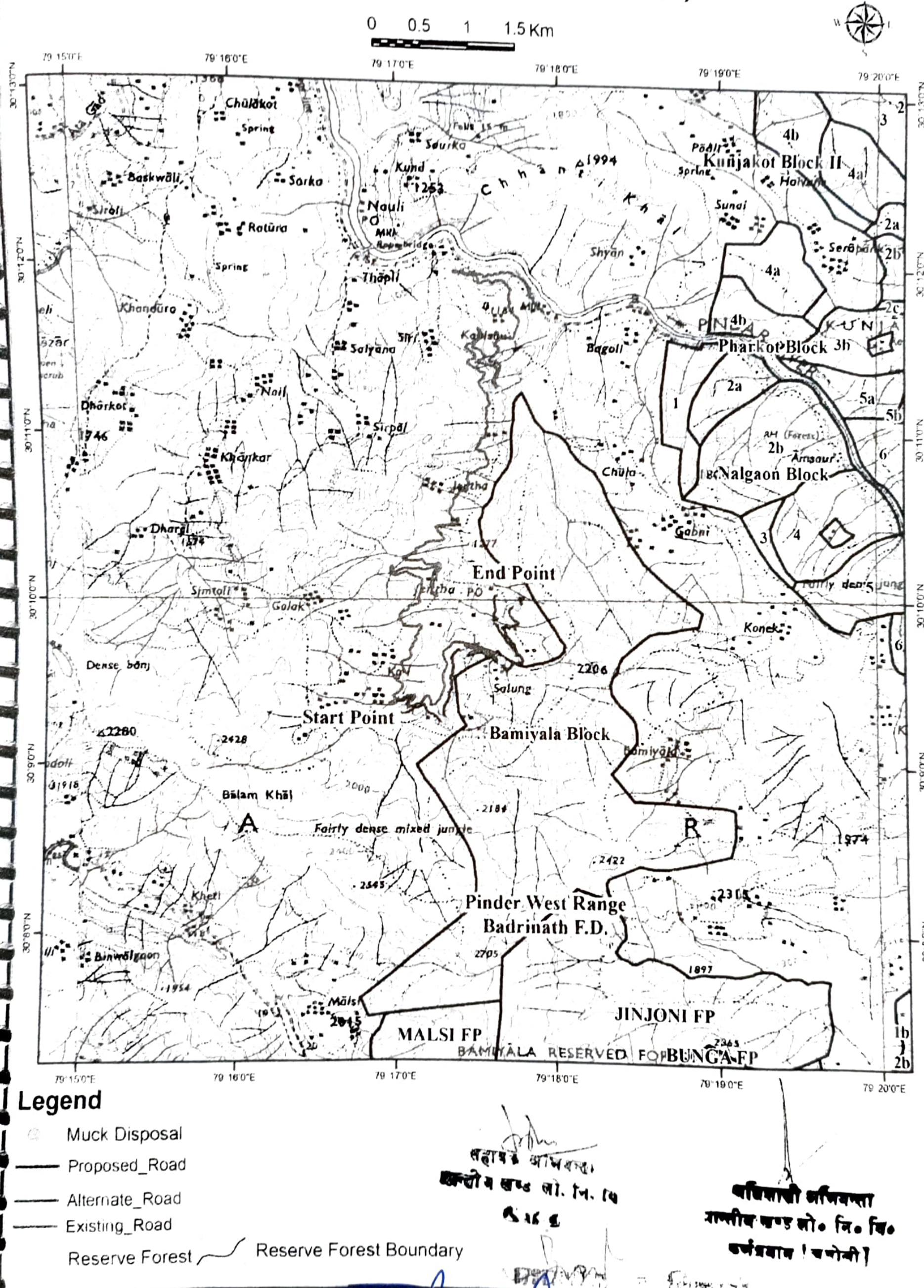

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
कर्णप्रयाग (चमोली)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

जियो रेफेरेंस मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत कोटी बैण्ड – घतोड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई–5.000 कि0मी0)

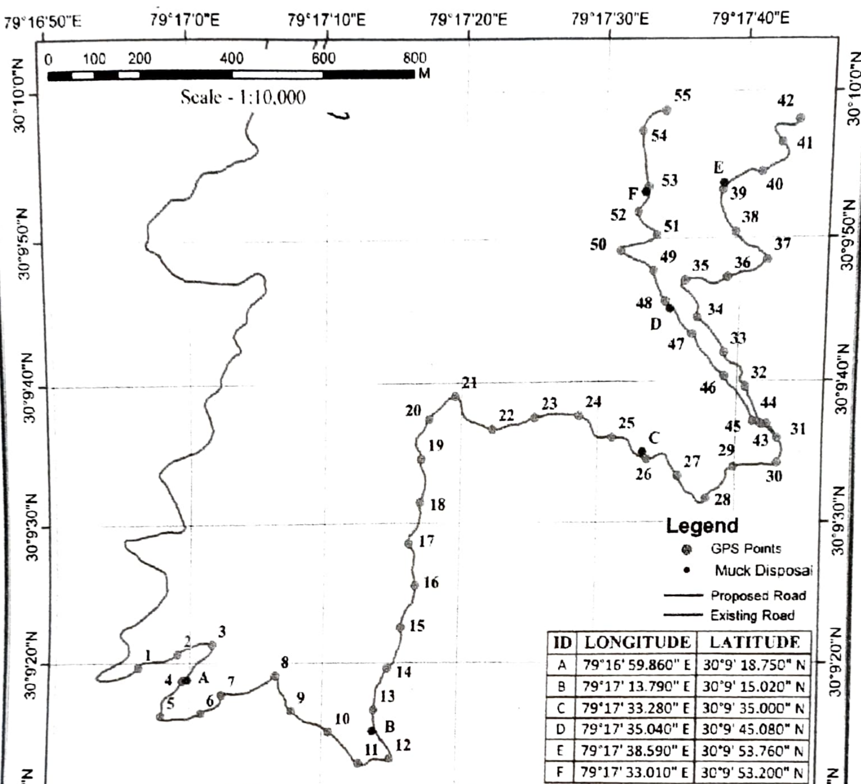

ID	LONGITUDE	LATITUDE
A	79°16' 59.860" E	30°9' 18.750" N
B	79°17' 13.790" E	30°9' 15.020" N
C	79°17' 33.280" E	30°9' 35.000" N
D	79°17' 35.040" E	30°9' 45.080" N
E	79°17' 38.590" E	30°9' 53.760" N
F	79°17' 33.010" E	30°9' 53.200" N

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79°16' 56.094" E	30°9' 19.676" N
2	79°16' 59.071" E	30°9' 20.624" N
3	79°17' 1.686" E	30°9' 21.334" N
4	79°16' 59.456" E	30°9' 18.694" N
5	79°16' 57.859" E	30°9' 16.135" N
6	79°17' 0.859" E	30°9' 16.320" N
7	79°17' 2.432" E	30°9' 17.696" N
8	79°17' 6.515" E	30°9' 19.089" N
9	79°17' 7.745" E	30°9' 16.531" N
10	79°17' 10.525" E	30°9' 14.969" N
11	79°17' 12.809" E	30°9' 12.711" N
12	79°17' 15.117" E	30°9' 13.050" N
13	79°17' 13.893" E	30°9' 16.606" N
14	79°17' 14.843" E	30°9' 19.621" N
15	79°17' 15.789" E	30°9' 22.543" N
16	79°17' 16.823" E	30°9' 25.526" N
17	79°17' 16.256" E	30°9' 28.540" N
18	79°17' 17.063" E	30°9' 31.495" N
19	79°17' 17.115" E	30°9' 34.599" N
20	79°17' 17.676" E	30°9' 37.428" N
21	79°17' 19.529" E	30°9' 39.047" N
22	79°17' 22.291" E	30°9' 36.681" N
23	79°17' 25.393" E	30°9' 37.478" N
24	79°17' 28.613" E	30°9' 37.609" N
25	79°17' 31.048" E	30°9' 36.062" N
26	79°17' 33.577" E	30°9' 34.500" N
27	79°17' 35.876" E	30°9' 33.282" N
28	79°17' 37.917" E	30°9' 31.673" N
29	79°17' 39.885" E	30°9' 33.937" N
30	79°17' 43.060" E	30°9' 34.216" N
31	79°17' 42.281" E	30°9' 36.986" N
32	79°17' 40.591" E	30°9' 39.609" N
33	79°17' 39.003" E	30°9' 41.973" N
34	79°17' 36.996" E	30°9' 44.459" N
35	79°17' 36.075" E	30°9' 47.072" N
36	79°17' 39.096" E	30°9' 47.279" N
37	79°17' 41.964" E	30°9' 48.502" N
38	79°17' 39.553" E	30°9' 50.416" N
39	79°17' 38.572" E	30°9' 53.327" N
40	79°17' 41.349" E	30°9' 54.541" N
41	79°17' 42.689" E	30°9' 56.552" N
42	79°17' 43.892" E	30°9' 58.116" N
43	79°17' 43.053" E	30°9' 35.963" N
44	79°17' 41.881" E	30°9' 36.946" N
45	79°17' 41.218" E	30°9' 37.185" N
46	79°17' 39.079" E	30°9' 40.350" N
47	79°17' 36.660" E	30°9' 43.302" N
48	79°17' 34.692" E	30°9' 45.615" N
49	79°17' 33.767" E	30°9' 47.725" N
50	79°17' 31.345" E	30°9' 49.201" N
51	79°17' 33.940" E	30°9' 50.257" N
52	79°17' 32.535" E	30°9' 51.862" N
53	79°17' 33.236" E	30°9' 53.573" N
54	79°17' 32.684" E	30°9' 57.408" N
55	79°17' 34.312" E	30°9' 58.739" N

सहायक अभियन्ता

प्रभागीय वनाधिकारी
अलकनन्दा भू. प्रभा. गोपेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

डिजिटल मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत कोटी बैण्ड – घतोड़ा मोटर मार्ग (ल0–5.0 कि0मी0) के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल घतोड़ा सिविल 2.20 है0

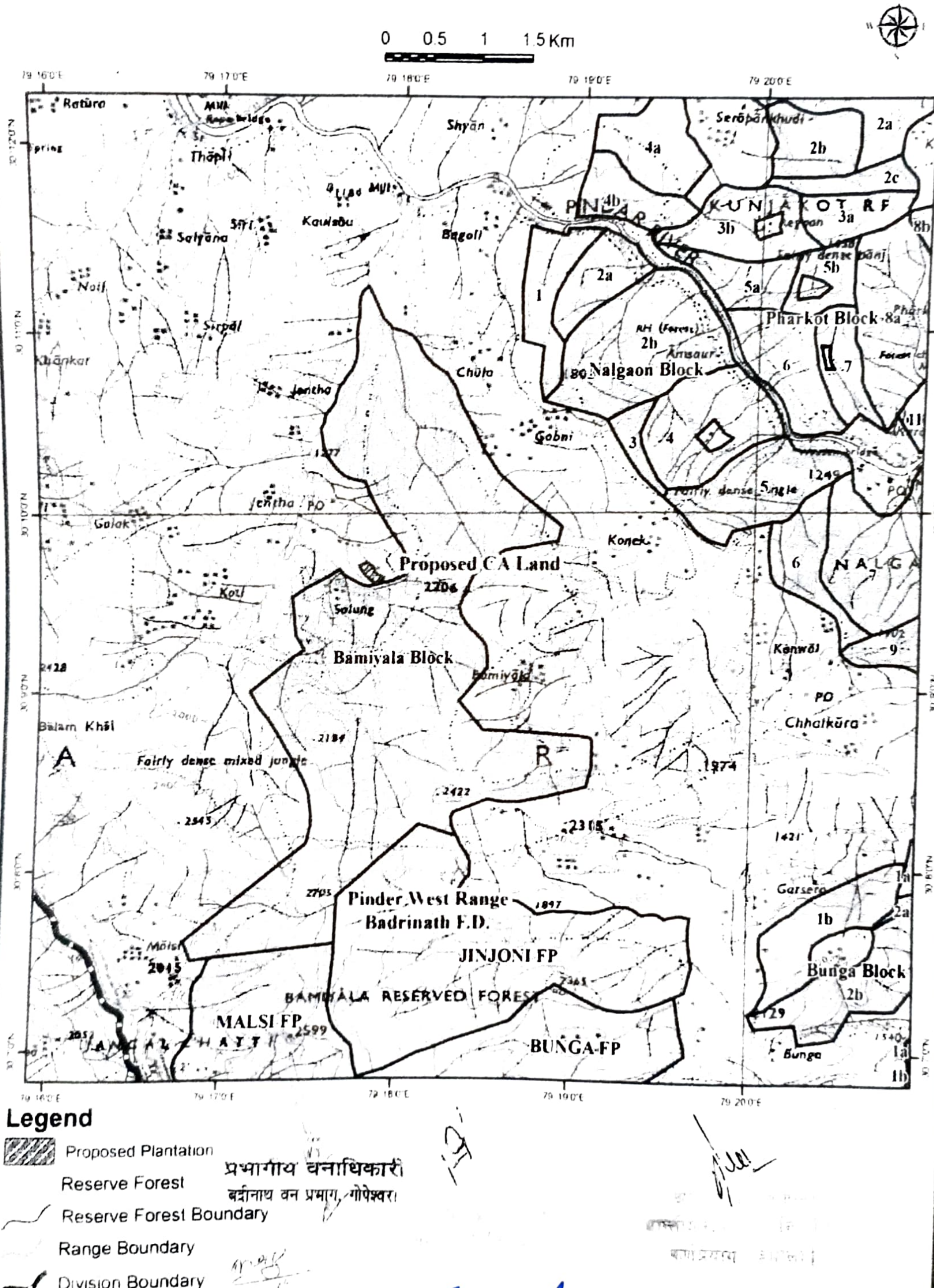

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग